राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)
पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना 2010—11 दिशा—निर्देश

पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के 73 वें संशोधन की भावनाओं के अनुरूप सशक्त एवं अधिकार सम्पन्न बनाने हेतु 11 वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से जुड़े क्रियाकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जिसके अनुसरण में इन विषयों से जुड़े क्रियाकलाप पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये जा रहे है।

भारत सरकार द्वारा 29 विषयों के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में राज्यों में की गई कार्यवाही का मूल्यांकन करते हुए प्रोत्साहित करने हेतु पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme (PEAIS)) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना वर्ष 2010—11 के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य को प्रथम पुरस्कार स्वरूप राशि 150.00 लाख उपलब्ध करवाई गई थी। राज्य स्तर पर उक्त राशि से, इस दिशा में बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में निर्धारित कार्ययोजना अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चयन कर दिनांक 29.09.2011 को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है।

पंचायत सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन योजना (Panchayat Empowerment & Accountibility Incentive Scheme (PEAIS)) 2010—11 के तहत पुरस्कार स्वरूप पंचायती राज संस्थाओं को उपलब्ध करवाई गई राशि के उपयोग हेतु मार्गदर्शिका निम्नानुसार होगीः—

1. वित्तीय प्रावधान

योजनान्तर्गत राज्य की 1 जिला परिषद, 7 पंचायत समितियों (प्रत्येक संभाग के लिये 1 पंचायत समिति) एवं 14 ग्राम पंचायतों (प्रत्येक संभाग के लिये 2 ग्राम पंचायत) को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कृत संस्थाओं का विवरण मय पुरस्कार राशि निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	संस्था का नाम	पुरस्कार राशि
जिला परिषद		
1.	बाडमेर	15.00 लाख
पंचायत समिति		
1.	लाडनू, जिला नागौर	9.00 लाख
2.	नदबई, जिला भरतपुर	9.00 लाख
3.	किशनगंज, जिला बांरा	9.00 लाख
4.	गिर्वा, जिला उदयपुर	9.00 लाख
5.	बिलाड़ा, जिला जोधपुर	9.00 लाख
6.	नोहर, जिला हनुमानगढ़	9.00 लाख
7.	चिड़ावा, जिला झुन्झुनु	9.00 लाख

ग्राम पंचायत		
1.	जामोला, पंचायत समिति मसूदा, जिला अजमेर	5.00 लाख
2.	गढ़वालों का खेड़ा, पंचायत समिति हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा	5.00 लाख
3.	कटारा, पंचायत समिति नदबई, जिला भरतपुर	5.00 लाख
4.	बोथपुरा, पंचायत समिति धोलपुर, जिला धोलपुर	5.00 लाख
5.	माणी, पंचायत समिति नैनवा, जिला बूंदी	5.00 लाख
6.	रिझौन, पंचायत समिति बकानी, जिला झालावाड़	5.00 लाख
7.	लेसवा, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तोड़गढ़	5.00 लाख
8.	पीपलांत्री, पंचायत समिति राजसमन्द, जिला राजसमन्द	5.00 लाख
9.	सालावास, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर	5.00 लाख
10.	नवोड़ा बेरा, पंचायत समिति बालोतरा, जिला बाड़मेर	5.00 लाख
11.	गांगियासर, पंचायत समिति फतेहपुर, जिला सीकर	5.00 लाख
12.	बख्तावरपुरा, पंचायत समिति चिड़ावा, जिला झुन्झुनु	5.00 लाख
13.	जसाना, पंचायत समिति नोहर, जिला हनुमानगढ़	5.00 लाख
14.	राजपुरा, पंचायत समिति पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर	5.00 लाख

2. योजना की कार्यकारी एजेन्सी एवं मॉनिटरिंग

2.1 राज्य स्तर पर इस योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग कार्य जिला आयोजना प्रकोष्ठ, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर द्वारा की जावेगी।

2.2 जिला स्तर पर योजना की मोनेटरिंग का उत्तरदायित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होगा। योजनान्तर्गत करवाये जाने वाले कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की मॉनिटरिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी करेंगे।

2.3 पुरस्कार राशि से करवाये जाने वाले कार्यो के लिये कार्यकारी एजेन्सी सम्बन्धित पुरस्कृत संस्था ही होगी।

3. पुरस्कार राशि कहाँ व्यय हो सकेगी :–

3.1 पुरस्कार राशि का उपयोग निर्बन्ध राशि के रूप में पुरस्कृत संस्था द्वारा नियमानुसार किया जा सकेगा। इस हेतु कराये जाने वाले कार्यो के प्रस्ताव पुरस्कृत संस्थाओं की साधारण सभाओं में लिये जा सकेंगे तथापि शामलात भूमि के संरक्षण, अतिक्रमण से मुक्त करवाने एवं विकास हेतु निम्न कार्यो को प्राथमिकता दिया जाना अपेक्षित है:–

1. चारागाह भूमि में डिच कम फेन्सिंग कार्य
2. चारागाह भूमि में वृक्षारोपण आदि के कार्य

3. शामलात भूमि के संरक्षण एवं अधिक उपयोगी बनाने हेतु अन्य आवश्यक कार्य, जो संस्थाओं की साधारण सभा द्वारा आवश्यक समझे जावे।

3.2 इस योजना से किसी पंजीकृत संस्था अथवा ट्रस्ट, गैर सरकारी संगठन अथवा व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ बनाने के लिए राशि नहीं दी जा सकेगी। धार्मिक कार्यो का क्रियान्वयन भी नही कराया जा सकेगा। व्यक्तिगत उपयोग हेतु राशि व्यय नही की जा सकेगी।

3.3 योजनान्तर्गत केवल ऐसे कार्यो पर ही राशि व्यय की जा सकेगी, जिससे सृजित होने वाली स्थाई परिसम्पत्ति किसी राजकीय विभाग या पंचायती राज संस्था की हो।

4. कार्यो की स्वीकृति –

4.1 कार्यो की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की जावेगी।

4.2 तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रशासनिक व वितीय स्वीकृतियाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जारी करेंगे।

5. वित्तीय प्रबन्धन –

5.1 पुरस्कार राशि चयनित पंचायती राज संस्थाओं को चैक के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा चुकी है। यह राशि उनके बेंक खातो में जमा रखी जावेगी।

5.2 योजनान्तर्गत जारी विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों के अनुसार सम्बन्धित संस्था राशि का उपयोग कर सकेगी।

6. राशि के उपयोग हेतु कार्ययोजना

क्र.सं.	कार्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि/दिनांक
1.	पुरस्कार राशि से कराये जाने वाले कार्यो का साधारण सभा से अनुमोदन	20 अक्टूबर, 2011
3.	कार्यो की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करना	10 नवम्बर, 2011
5.	कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	31 दिसम्बर, 2011

अति. मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

एफ.4 पराविं/आप्र/PEAIS/2010–11/ 1100 जयपुर, दिनांक 04/11/2011

प्रतिलिपि

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4. सभागीय आयुक्त–समस्त।
5. जिला कलक्टर–जिला .... ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य आयोजना अधिकारी – जिला परिषद .... ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति..
8. ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत................................पं.स..................................., जिला........................... ।

4.11.2011
शासन उप सचिव
जिला आयोजना